...श की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22.2.2022	नामांतरण अपील वाद सं0 5/2018–19 जोखू साह वगैरह प्रति अनिता देवी आदेश अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अंचल नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 36R27/2016–17 में दिनांक 31.10.2017 को पारित आदेश के विरूद्व अंचल नगर उंटारी मौजा पुरैनी खाता सं0 114 प्लौट सं0 480 रकबा 3डीसमील भूमि जिसका केवाला सं0 166 दिनांक 15.02.2017 पर अपील वाद दायर किया गया। विपक्षी उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया तत्पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल नगर उंटारी मौजा पुरैनी खाता सं0 3 प्लौट सं0 293 रकबा 0.18 एकड़ भूमि गत सर्वे खतियान में कुजू तेली के नाम से दर्ज है। अपीलार्थीगण कुजू तेली का बंशज है। अपीलार्थीगण की वंशावृक्षावली निम्नांकित है। कुजु तेली राम किशुन तेली, धनी तेली, कैल तेली, तेजन तेली, चिलर तेली (मृत) माधव तेली, प्रेम सागर तेली, पार्वती देवी, दूसी देवी जोखू साह (अपीलार्थी) वर्तमान सर्वे में पुराना खाता सं0 3 से नया खाता सं0 114 कुजू तेली के वंशज भोला साव वगैरह के नाम से बना है। जिसमें अपीलार्थी के पिता एवं चाचा का 24 अंश प्रदान किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा अपने मौरूषी संपति के बंटवारा के लिये सिविल जत सिनियर डिविजन गढ़वा के न्यायालय में बंटवारा वाद सं0 61/2017 दायर किया गया है। जिसमें प्रतिवादीगण उपस्थित हो चुके है। प्रत्यर्थी के केवाला सं0 166 दिनांक 15.02.2017 से क्रय की गई भूमि पर अपीलार्थी का आवासीय मकान एवं दुकान अवस्थित है ऐसी स्थिति में विद्वान अंचलाधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा बिना स्थल जॉच किये नामांतरण स्वीकृत किया गया है। जिस नामांतरण आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा अपील दायर किया गया है। विद्वान अंचलाधिकारी के द्वारा आदेश पारित करने में रंच मात्र भी बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। बिना स्थल सत्यापन किये ही नामांतरण स्वीकृत किया गया है, जबकि स्थल पर प्रश्नगत् भूमि पर अपीलार्थी का आवासीय मकान एवं दुकान अवस्थित है। प्रत्यर्थी के द्वारा केवाला सं0 166 दिनांक 15.02.2017 के नामांतरण हेतु दिनांक 09.03.2017 को ऑनलाईन आवेदन दिया गया है। नामांतरण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.07.2017 को हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिया गया। लगातार	

अधिवक्ता संघ, नगर उंटारी

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या और तारीख कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	2	3
	और उसी दिन विद्वान अंचलाधिकारी के द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार नामांतरण की कार्रवाई में स्थापित विधि का पालन विद्वान अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। अभिलेख में आम–इस्तहार नहीं दिया गया है और न तो अन्य प्रश्नगत् प्लौट सं0 293 के अन्य हिस्सेदार रैयत को कोई सूचना ही निर्गत किया गया है। केवाला सं0 166 दिनांक 15.02.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निबंधन के समय केवाला में हाल सर्वे का खतियान खाता सं0 114 भोला साव वगैरह दाखिल किया गया है। जिसमें अपीलार्थी के पिता महादेव साव एवं चाचा सरहु साव के नाम से चौबिस अंश दर्शाया गया है। पुराना खाता सं0 3 पुराना प्लौट सं0 293 के अंश रकबा से नया खाता सं0 114 नया प्लौट सं0 480 में अपीलार्थी का हिस्सा भी सन्निहित है। जिस पर अपीलार्थी का आवासीय मकान अवस्थित है इसके बाद भी हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित बिना स्थल जॉच किये गलत प्रतिवेदन के आधार पर विद्वान अंचलाधिकारी के द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया गया है। जो अविलम्ब खारिज योग्य है। प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा ग्राम पुरैनी के पुराना खाता सं0 3 पुराना प्लौट सं0 293 रकबा 3 डीसमील भूमि पर अपील दायर किया गया है। जो तथ्य से परे है जिसका नया खाता सं0 114 नया प्लौट सं0 480 है। प्रश्नगत् भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के रैयत स्व0 कुंजी तेली थे उनके पुत्र कईल साव थे स्व0 कईल साव के पुत्र भोला साव हुए जिन्होने प्रश्नगत् भूमि रामचन्द्र साव वो रामभजन साव से बिक्री कर दिए जिसका नामांतरण होकर उनके नाम लगान रसीद कटी। रामभजन वो रामचन्द्र साव से अनिता देवी पति उदय कुमार मेहता ने केवाला सं0 391 दिनांक 21.01.2009 से बिक्री कर दखल कब्जा सौंप दिए जिसका नामांतरण होकर लगान रसीद कटने लगी। अनिता देवी पति उदय कुमार मेहता से प्रत्यर्थी अनिता देवी ने केवाला सं0 166 दिनांक 14.02.2017 से प्रश्नगत् भूमि क्रय की एवं दखल कब्जे में आयी जिसका ऑनलाईन केश न0 36R27/2016–17 से नामांतरण होकर लगान रसीद कटते आ रही है। अपीलार्थी का यह कहना है कि बिना नामांतरण के प्रत्यर्थी के नाम रसीद काट दिया गया है। तो वह सरासर गलत है। प्रत्यर्थी अंचल से ऑनलाईन हुए नामांतरण की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल करेगा जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि विधिवत् अंचल अधिकारी ने ऑनलाईन नामांतरण किया गया है। खतियानी रैयत के बंशजों के बीच आपसी बंटवारा हुआ जिसके आलोक में अपीलार्थी के पिता एवं चाचा ने नामांतरण वाद सं0 660/1988–89 से अपने नाम नामांतरण कराया बंटवारे में प्रश्नगत् प्लौट सं0 293 उन्हें प्राप्त नहीं था। अपीलार्थी के द्वारा सिविल जज गढ़वा के न्यायालय में बंटवारा वाद सं0 61/2017 दायर किया गया है। जिसमें प्रश्नगत् प्लौट भी है जब व्यवहार न्यायालय में बंटावारा वाद चल रहा है इस न्यायालय में समान्तर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। लगातार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि प्रत्यर्थी की केवाला से खरीदी भूमि है जिसका विधिवत नामांतरण हुआ है अंचल अधिकारी के आदेश में कोई त्रृटि नहीं है एवं अंचल अधिकारी के आदेश यथावत रखने योग्य है।

अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के पत्रांक 598 दिनांक 15.02.2020 से प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त वाद की अभिलेख अंचल कार्यालय नगर उंटारी में उपलब्ध नहीं है तथा नामांतरण पंजी में संधारित नहीं है। उक्त वाद में अन्य व्यक्ति का नाम संधारित है। पुनः उक्त के सदर्भ पत्रांक 35 दिनांक 18.01.2022 द्वारा नामांतरण वाद सं0 36R27/2016–17 का अभिलेख प्राप्त हुआ है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सूना एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया कि अपीलार्थी जोखू साह के पिता स्व0 माधो साव वो चाचा सरहू साव के द्वारा मौजा पुरैनी में प्राप्त हिस्से की भूमि बंटवारा/उत्तराधिकार नामांतरण वाद सं0 660/1988–89 के द्वारा अपने नामे करा लिया गया है। जिसका मांग पंजी 2 में संधारित होकर लगान रसीद निर्गत है। इस बंटवारा नामांतरण में प्रश्नगत् प्लौट की भूमि अंकित नहीं है। एवं संलग्न सीमांकन अभिलेख अंचल कार्यालय नगर उंटारी के सीमांकन वाद सं0 11/2011–12 के अवलोकन से प्रतित होता है कि प्रश्नगत् भूमि सीमांकन की गई भूमि से अलग है। जिसमें सीमांकित भूमि का चौहदी दर्ज नहीं है। बंटवारा वाद सं0 61/2017 न्यायालय सिविल जज गढ़वा में लम्बित है। प्रश्नगत् भूमि केवाला सं0 4081 दिनांक 06.06.1992 बिक्रेता/मांगधारी हाल सर्वे/गत सर्वे खतियानी रैयत के बंशज भोला साव से क्रेतागण रामभजन साव पिता भुखन साव वो रामचन्द्र साव पिता स्व0 रामजतन साव को उक्त भूमि प्राप्त है। जिसका नामांतरण वाद सं0 597/1995–96 के द्वारा क्रेतागण का नाम से मांगपंजी 2 में संधारित होकर लगान रसीद निर्गत है। पुनः बिक्रेता रामभजन साव पिता भुखन साव वो रामचन्द्र साव पिता स्व0 रामजतन साव ने केवाला सं0 391 दिनांक 21.01.2009 से क्रेता अनिता देवी पति उदय कुमार मेहता को प्रश्नगत् भूमि बिक्री किया है। जिसका नामांतरण वाद सं0 573/2008–09 के द्वारा क्रेता के नाम से मांगपंजी 2 में संधारित होकर लगान रसीद निर्गत है। क्रेता अनिता देवी पति उदय कुमार मेहता ने प्रश्नगत् भूमि को केवाला सं0 166 दिनांक 15.02.2017 से अनिता देवी पति सिकन्दर गुप्ता को प्रश्नगत् भूमि बिक्री किया है। जिसका नामांतरण वाद सं0 36R27/2016–17 के द्वारा क्रेता के नाम से ऑनलाईन मांगपंजी 2 में संधारित होकर लगान रसीद निर्गत है। इस आधार पर बिक्रेता का भूमि पर Right Title interest एवं Possession प्राप्त था जिनके द्वारा बिक्रय पत्र से प्रत्यर्थी/क्रेता श्रीमती अनिता देवी को Right Title interest एवं Possession प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रत्यर्थी अपने नाम नामांतरण कराने के Entitle है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	2	3

अतः उभय पक्षों के लिखित कथन एवं उभय पक्षों के तर्क तथा लेख्यात्मक कागजी साक्ष्य के आधार पर विद्वान अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामांतरण वाद को यथावत बहाल रखते हुए एवं अपीलार्थीगण का अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

22/02/24.

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

22/02/24.

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.14 13:18:28 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner